न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी:– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.– 167/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00384

1. विजय कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
2. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन गंगनहर दक्षिण खण्ड रायसिंहनगर

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति:–
1. श्री अजीत कुमार सुथार, वकील वादी
2. राजपैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक : 03.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने वादी पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को उसके पिता से चक 42 एनपी तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 227/311 मु.नं. 10 के कि.नं. 1, 10, 11 प्रत्येक 0.253है., 20 की 0.240है., 21 की 0.101है. कुल 1.100है. नहरी प्राप्त होकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज हुई। विवादित रकबा वादी के नाम से अंतरित होने से पूर्व वादी का पिता बतौर खातेदार काबिज काश्त रहा और वादी के पिता से पूर्व वादी के पूर्वज बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त करते रहे। विवादित रकबा में कोई खाला कभी स्वीकृत नहीं हुआ और ना ही कभी चला हैं और ना ही मौका पर चल रहा हैं। वादी के पूर्व अनपढ़ होने के कारण उन्हें राजस्व रिकार्ड में विवादित रकबा में खाला के अंकन दर्ज होने का ज्ञान नहीं हो सका। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि के कि.नं. 1–10–11 प्रत्येक 0.253है. नहरी मय खाला, 20 की 0.240है. नहरी मय खाला, 21 की 0.101है. नहरी मय खाला दर्शाया गया हैं। जमाबंदी में दर्ज उक्त दर्शाया विवरण अशुद्ध व गलत हैं। राजस्व रिकार्ड में उक्त किलाजात में संहबन दर्शाया गया खाला 0.113है. भूमि की दुरूस्ती करवा सही दर्ज नहीं करवाने पर कालान्तर में वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पडेगा। वादी राजस्व रिकार्ड में हुई गलती को दुरूस्त करवा पाने व घोषणा करवा पाने का विधिक अधिकारी हैं। चक 42 एनपी के प.नं. 227/311 मु.नं. 10 के कि.नं. 1–10–11 प्रत्येक 0.253है., 20 की 0.240है., 21 की 0.101है. कुल 1.100है. नहरी भूमि पर वादी के खातेदारी हक हकूक घोषित करने एवं कि.नं. 1–10–11–20 प्रत्येक में दर्शाये गये 0.025–0.025है. व 21 में 0.013है. कुल 0.113है. खाला के अंकन को विलोपित कर किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक 0.253है., 20 की 0.240है., 21 की 0.101है. कुल 1.100 कृषि भूमि दर्ज करने के आदेश पारित कर डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से श्री कृष्ण पूनियां अधिवक्ता ने अंडर टेकिंग दी पर कई अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया। वादी ने अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड रायसिंहनगर के पत्रांक/टी–05/3128 दिनांक 24.06.2018 की चित्रप्रति प्रस्तुत की। वकील वादी के निवेदन करने पर प्रकरण में सीधे एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

बहस वकील वादी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प.नं. 227/311 मु.नं. 10 के कुल 1.100है. भूमि वादी के नाम हैं जिसमें से 0.133है. खाला दर्ज हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत अधिशाषी अभियंता के पत्र से स्पष्ट हैं कि मु.नं. 308 (नया मु.नं. 10) के कि.नं. 1 ता 5 प.नं. 226/311 से 227/311 तक पक्का खाला [illegible] पेश नहीं किया गया हैं, जिससे यह सिद्ध हो कि वादी के मुरब्बे में खाला का [illegible] हैं। ऐसी स्थिति में वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रती[illegible] हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार [illegible] जाता है।
निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं.– 167/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00384

1. विजय कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
2. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन गंगनहर दक्षिण खण्ड रायसिंहनगर

–:प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः–03.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री अजीत कुमार सुथार अधिवक्ता वादी, राजपैरोकार पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है किः–

"वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता हैं।"

डिक्री आज दिनांक 03.03.2021 को जारी की गई।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner